रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241313
CG-DL-E-22122022-241313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 801]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944
No. 801]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/ PAUSA 1, 1944

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 898(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39की उपधारा(1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. 416(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग नियम, 2016को, उन बातों के सिवाय अभिप्रेत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है उक्तअधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अधीन यथा-उपबंधित मातृत्व लाभों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:**इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20)अभिप्रेत है;

   (ख) "जननी सुरक्षा योजना" से भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन सुरक्षित मातृत्व के लिए केंद्रीय सरकार की स्कीम अभिप्रेत है;

   (ग) "मंत्रालय" से महिला और बाल विकास मंत्रालय अभिप्रेत है;

(घ) "माता शिशु संरक्षण कार्ड" से महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संयुक्त कार्ड अभिप्रेत है, जो एक व्यापक बहुउद्देश्यीय कार्ड है जो उपरोक्त मंत्रालयों द्वारा उपबंधित बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है;

(ङ) "मिशन शक्ति" से महिला औरबाल विकास मंत्रालय का मिशन अभिप्रेत है, जिसका उद्देश्य देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद दिव्यांगजन, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर वर्गों सहित सभी महिलाओं और लड़कियों को उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए जानकारी तथा अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाएं प्रदान करना है एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उक्त मिशन के घटकों में से एक है;

(च) "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" से अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अधीन बनाई गई केंद्रीय सरकार की स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तारीख 14 जुलाई, 2022 को जारी मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार आंशिक वेतन क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य अनुकूल व्यवहार और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व लाभ दिया जाता है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं।

3. मातृत्व लाभ हेतु पात्र लाभार्थी:- (1) समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाएं लाभ पाने की हकदार हैं तथा समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के निर्धारण का मानदंड मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(2) पहले जीवित बच्चे और दूसरे जीवित बच्चे के लिए नियम 7 के खंड (क) और खंड (ख) में प्रदान किए गए मातृत्व लाभ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उपबंधों के अनुसार होंगे।

परंतु दूसरी संतान लड़कीहोगी।

4. लाभार्थियों का रजिस्ट्रीकरण : नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट मातृत्व लाभ सभी पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जाएगा, जिन्होंने खुद को रजिस्ट्रीकृत कराया है -

(i) एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र पर या ऑनलाइन स्व-रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से;

(ii) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)की धारा 7 के अधीन भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन पर स्कीम और उसके अधीन लाभ दिए जाएंगे।

5. सत्यापन के साधन : इन नियमों के अधीन मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा शर्तों की पूर्ति को सत्यापित करने के लिए मातृ शिशु संरक्षण कार्ड सत्यापन का प्राथमिक साधन होगा।

6. मातृत्व लाभ का संवितरण : मातृत्व लाभ की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण माध्यम से अंतरित की जाएगी।

7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अधीन किस्तों की संख्या:- (1) पांच हजार रुपये या ऐसी रकम का मातृत्व लाभ जो दिशानिर्देशों के अधीन पहले जीवित बच्चे के लिए प्रदान किया जाता है, जो नीचे दी गई सारिणी के अधीन यथा-उपबंधित शर्तों को पूरा करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार दो किस्तों में प्रदान किया जाएगा:

तालिका

किस्त	**शर्तें**	**रकम(पये मेंरु)**
पहली किस्त	• गर्भावस्था के रजिस्ट्रीकरण और संबंधित प्रशासित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्रों में अंतिम मासिक धर्म की तारीख से छह महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच पर	मिशन शक्ति के अधीन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के दिशानिर्देशों में यथा-उपबंधित

दूसरी किस्त	• बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण कराने पर • बच्चे को चौदह सप्ताह की आयु तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अधीनस्वीकृत सभी अपेक्षितटीके लगाए गए हों।	मिशन शक्ति के अधीन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के दिशानिर्देशों में यथा-उपबंधित

(2) दूसरे जीवित बच्चे के लिए, छह हजार रुपये की लाभ की रकम या ऐसी रकम जो स्कीम के दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित की गई है, जन्म के पश्चात एक किस्त में दी जाएगी:

परंतु दूसरा बच्चा एक लड़की हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर, अर्थात्:

(i) इस स्कीम के अधीन लड़कियों के जन्म का रजिस्ट्रीकरण कराया जाएगा;

(ii) लड़कियों को जन्म की तारीख से चौदह सप्ताह की आयु तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत सभी अपेक्षित टीके लगाए गए हों।

(3) **जननी सुरक्षा योजना के अधीन पात्रता:**पात्र लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के अधीन प्रसूति हितलाभ के अंतर्गत अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार संस्थागत प्रसव के पश्चात शेष नकद प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होगी ताकि एक महिला को औसतन छह हजार रुपये मात्र की राशि प्राप्त हो।

8. मातृत्व लाभ की रकम अवधारित करने की शक्ति: केंद्रीय सरकार, समय-समय पर स्कीम में यथा-उपबंधित मौद्रिक लाभ को संशोधित कर सकेगी।

9. नियम किसी भी स्कीम के अल्पीकरण के लिए नहीं:इन नियमों के उपबंध केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी भी विद्यमान स्कीम के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

[फा. सं. 13/1/2017-पीएमएमवीवाई]

पल्लवी अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

G.S.R. 898(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), and in supersession of the Indira Gandhi Matritva Sahyog Rules, 2016 published in the Gazette of India, vide G.S.R 416 (E), dated the 12th April, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the maternity benefits as provided under clause (b) of section 4 of the said Act, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -**In these rules, unless the context otherwise requires,-

a. "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

b. "Janani Suraksha Yojana" means the Scheme of the Central Government for safe motherhood under the National Health Mission being implemented by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare with the objective of reducing maternal and neo-natal mortality by promoting institutional delivery among the pregnant women;

c. "Ministry" means the Ministry of Women and Child Development;

d. "Mother Child Protection Card" means a joint card of the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Health and Family Welfare, which is a comprehensive multipurpose card which provides information on utilisation of health and nutrition services for children and women provided by the aforesaid Ministries;

e. "Mission Shakti" means the Mission of Ministry of Women and Child Development aimed to provide all women and girls including differently-abled, socially and economically marginalised and vulnerable groups, in need of care and protection, with short term and long-term services and information for their holistic development and empowerment and the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana is one of the component of the said Mission;

f. "Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana" means the Scheme of the Central Government made under clause (b) of section 4 of the Act under which maternity benefits for partial wage compensation, health seeking behaviour and topromote positive behavioural change towards girl child as per Mission Shakti Guidelines issued by the Government of India, Ministry of Women and Child Development on 14th July, 2022;

g. "section" means section of the Act;

h. the words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Beneficiaries entitled to maternity benefit. –** (1) The women belonging to socially and economically disadvantaged sections of society are entitled to get the benefit and the criteria for determining socially and economically disadvantaged sections of society shall be as per the Mission Shakti Guidelines.

(2) The maternity benefit as provided in clauses (a) and (b) of rule 7 for the first living Child and second living Child shall be as per the provisions of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana:

Provided that the second Child shall be a girl.

4. Registration of beneficiaries. -The maternity benefit shall be given to all eligible pregnant women and lactating mothers, as referred to in rule 3 who have registered themselves at.-

(i) anganwadicentre set up under the Integrated Child Development Services or at approved Health Facility of Health and Family Welfare Department of respective State Government or Union territory or through online self-registration;

(ii) the Scheme and benefits thereunder shall be given on compliance of provisions of notifications to be issued by the Government of India, Ministry of Women and Child Development under section 7 of the Aadhaar (targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).

5. Verification Tool. – The Mother Child Protection Card shall be the primary verification tool for verifying the fulfilment of the conditionalities by beneficiaries for availing maternity benefit under these rules.

6. Disbursement of maternity benefit. – The amount of the maternity benefit shall be directly transferred to the beneficiary's bank account or post office account in Direct Benefit Transfer mode.

7. Number of instalments under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: – (1) The maternity benefit of five thousand rupees or such amount as provided under the Guidelines for first living child which shall be provided in two instalments upon fulfilment of following conditions as provided under the Table given below.-

TABLE

Instalment	**Conditions**	**Amount (in Rupees)**
First Installment	• On registration of pregnancy and at least one Ante-natal check-up within six months from Last Menstrual Period date at the Anganwadi Centre or approved Health facilities may be identified by the respective administering State or Union Territory	As provided in Guidelines of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana under Mission Shakti
Second Installment	• Childbirth is registered • The child has received all due vaccines till the age of fourteen weeks as admissible under the Universal Immunization Programme of Ministry of Health and Family Welfare	As provided in Guidelines of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana under Mission Shakti

(2) For the second living child, the amount of benefit of six thousand rupees or such amount as prescribed under the Scheme Guidelines shall be given in one instalment after the birth:

Provided the second child shall be a girl child on fulfilment of the following conditions, namely:-

(i) the girl child birth shall be registered under this Scheme;

(ii) the girl child has received all due vaccines till the child attains age of fourteen weeks from the date of birth as admissible under the Universal Immunization Programme of Ministry of Health and Family Welfare.

(3) **Entitlements under Janani Suraksha Yojana**. – The eligible beneficiary shall also receive the remaining cash incentive as per approved norms towards Maternity Benefit under Janani Suraksha Yojana after institutional delivery so that on an average, a woman gets an amount of six thousand rupees only.

8. Power to determine amount of maternity benefits. - The Central Government may modify the monetary benefit as provided in the Scheme from time to time.

9. Rules not in derogation of any Scheme. - The provisions of these rules shall be in addition to and not in derogation of any existing Scheme implemented by the Government of India.

[F. No. 13/1/2017-PMMVY]

PALLAVI AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.22 22:44:42 +05'30'